निक्षेप (Bailment)
Part- II

10. चल सम्पत्ति (Movable Property) का ही निक्षेप— निक्षेप का अनुबन्ध केवल चल सम्पत्ति के लिए ही किया जा सकता है, अचल सम्पत्ति के लिए नहीं। किन्तु मुद्रा इसका अपवाद है अर्थात यदि कोई कुछ नोट बैंक में जमा करता है तो उन्हीं नोटों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार उसका बैंक के विरुद्ध नहीं होता है।

11. अनुबन्ध के अन्तर्गत (Under a Contract)— सामान्यतः निक्षेपी तथा निक्षेपगृहीता के मध्य सम्बन्धों का निर्माण अनुबन्ध का ही परिणाम है। किन्तु कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में बिना अनुबन्ध के भी निक्षेप हो सकता है, जैसे सड़क पर पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति तथा माल का वास्तविक स्वामी। इन दोनों के मध्य आभासित अनुबन्ध का होना माना जाता है।

12. निक्षेप विक्रय तथा लाइसेंस से भिन्न है— (Bailment is distinct with sale and Licence) — निक्षेप विक्रय से भिन्न है क्योंकि विक्रय में तो स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को होता है, किन्तु निक्षेप में निक्षेपगृहीता को केवल कब्जे (Possession) का हस्तांतरण होता है,

स्वामित्व का नहीं। इसी प्रकार निक्षेप लाइसेंस भी भिन्न है क्योंकि लाइसेंस में लाइसेंसधारी माल को लाइसेंसदाता के स्थान पर रखता है, सुपुर्दगी नहीं देता जबकि निक्षेप में माल का केवल या सुपुर्दगी निक्षेपग्रहीता को हस्तांतरित होता है।

12. विशिष्ट दशाओं में निक्षेप (Bailment in Specific Circumstances) — निम्नलिखित विशिष्ट दशाओं में भी स्वतः निक्षेप हो जाता है—

a. जब वस्तुएं किराया क्रय पद्धति से बेची जाती हैं तो जब तक क्रेता अन्तिम किश्त का भुगतान नहीं कर देता है, तब तक क्रेता केवल निक्षेपग्रहीता की स्थिति में होता है। अन्तिम किश्त का भुगतान करने के बाद ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है।

b. क्रेता जब माल क्रय कर के विक्रेता के पास छोड़ देता है तो ऐसी दशा में विक्रेता भी निक्षेपग्रहीता की स्थिति में आ जाता है।

c. जब व्यापारी डाक घर से वी.पी.पी. से माल भेजता है तो डाकघर भी निक्षेपग्रहीता की स्थिति में आ जाता है।

d. जब माल परिवहन के लिए रेलवे या परिवहन कम्पनी को सौंपा जाता है तो रेल या परिवहन कम्पनी निक्षेपग्रहीता की स्थिति में होता है।

क्या बैंक में रुपया जमा करना निक्षेप का अनुबन्ध है ? (Is Money deposited in a Bank a bailment):

किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में बचत खाता, स्थायी जमा खाता या चालू खाता में रुपया जमा करना अनुबन्ध नहीं है क्योंकि

a. जमा कराये गये रुपये को वैसे ही मूल रूप में लौटाये जाने का कोई वचन बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है

b. बैंक में जो भी रुपया जमा कराया जाता है वह सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि निवन्धित खाते में जमा कराने के लिए दिया जाता है तथा

c. बैंक और जमाकर्ता के मध्य किसी भी और निक्षेपकर्ता का सम्बन्ध नहीं होता वरन् ऋणदाता एवं ऋणी का सम्बन्ध होता है।